

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संख्या- 163 / XVIII(1)/2016-04(1)/2013

दिनांक: 29 फरवरी, 2018 ई०

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अद्येतर संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2015

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (द्वितीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2015 है।  
(2) यह तुरन्त लागू होगी।
- नियम 3 खण्ड (ख) का संशोधन 2. मूल नियमावली के नियम 3 खण्ड (ख) में जहां-जहां शब्द मुख्य राजस्व आयुक्त आया है वहां शब्द अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड रख दिया जायेगा।
- नियम 18 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नियम 18 में स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

18. नियम 15 या नियम 16 के अधीन घयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा नियत किया जाय जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18. नियम 15 या नियम 16 के अधीन घयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा नियत किया जाय, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन तैनाती के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

(डी०एस० गब्याल)  
सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
राजस्व अनुभाग-1  
संख्या-308/XVIII(1)/2019-04/2008  
देहरादून: दिनांक: 09 मार्च, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 यथा संशोधित नियमावली, 2010 एवं 2015 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

- |                            |       |   |  |
|----------------------------|-------|---|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ  | 1.    | (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 कहलायेगी।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।  |  |
| नियम-20 का संशोधन          | 2.    | उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 के भाग-छ: नियम-20 के उप नियम (3) के पश्चात उप नियम (4)(5)(6) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-   |  |
|                            |       | स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम   | स्तम्भ-2<br>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| नियुक्ति अस्थाई/स्थानापन्न | 20(4) | जो अस्थायी रिक्तियां जिनका छः सप्ताह से अधिक चलना सम्भाव्य न हो, जिलाधिकारी (District Officer) द्वारा सूचीबद्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति से भरी जा सकेगी, यदि वह जिले में उपलब्ध हो, लेकिन यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।  |  |
|                            | 20(5) | जो रिक्तियां छः सप्ताह से अधिक किन्तु तीन महिने से कम चलने वाली हो, उन पर जिला अधिकारी (District Officer) किसी भी सूचीबद्ध अभ्यर्थी को, यदि वह जिले में उपलब्ध हो, नियुक्त कर सकता है। यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उसकी सूचना आयुक्त को दी जायेगी, जो यदि सम्भव हो तो, डिविजन के किसी अन्य जिले से सूचीबद्ध अभ्यर्थी को नियुक्त करेगा। यदि डिविजन में कोई सूचीबद्ध अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो आयुक्त उपलब्ध सबसे उपयुक्त कर्मचारी को नियुक्त करेगा या जिला अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार देगा। |  |
|                            | 20(6) | तीन मास से अधिक चलने वाली सभी रिक्तियों की पूर्ति आयुक्त की रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा की जायेगी।<br>परन्तु अस्थाई/स्थानापन्न पदोन्नति की व्यवस्था नियमित नियुक्ति होने तक केवल एक बार के लिए ही लागू होगी।   |  |

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)  
सचिव (प्रभारी)



8/-क०-1658/दि०.13-03-19

DRC(U)

13/3/19

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-309/XVIII(1)/2019-04/2008

देहरादून: दिनांक: 09 मार्च, 2019

अधिसूचना संख्या-308/XVIII(1)/2019-04/2008 दिनांक 09.03.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (तृतीय संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 (सौ) प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)  
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- /XVIII(1)/2010-3/2004

देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2011

03-02-11

30/01/2011

3.2.11

अधिसूचनाप्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रतर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010 है।
- (2) यह तुरन्त लागू होगी।

नियम 5 का संशोधन

- उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-1  
वर्तमान उपनियम

(2)(क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2)(क) तीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

(ग) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वन पंचायत निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;



परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा वन पंचायत निरीक्षक उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

आज्ञा से,


(डॉ० राकेश कुमार)  
सचिव।

संख्या- 1160 (1)/XVIII(1)/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 सौ प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

13 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 240/XVII:(1)/2009-4/2008-"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर सगस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्राप्ति-

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएँ:-

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम) 1994 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) अभिप्रेत है,

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ग) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के आयुक्त अभिप्रेत है,

(ङ) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(च) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ज) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(झ) "संस्थान" से राजस्व पुलिस एक भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा अथवा उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल अभिप्रेत है।



- (ट) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त निगमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है.
- (ठ) "सेवा" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा अभिप्रेत है.
- (ड) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो.
- (ढ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है.
- (त) "नायब तहसीलदार" से "पेशकार" भी अभिप्रेत है।

भाग दो-संवर्ग

#### 4. सेवा का संवर्ग-

- (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्न होगी :-

पद का नाम	पदों की संख्या		योग
	स्थायी	अस्थायी	
नायब तहसीलदार	105	39	144

परन्तु उपर्युक्त यह है कि:

(एक) नियुक्ति अधिकारी किसी निम्न पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

#### 5. भर्ती का श्रोत-

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी :-

- (1) पचास प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा.
- (2) (क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;
- (ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;
- परन्तु यदि पदोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

#### 6. आरक्षण-

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3)

## भाग चार-अर्हतायें

## 7. राष्ट्रीयता-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांजानिया और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रजनन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि, उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

## 8. शैक्षिक अर्हता-

सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है।

## 9. अधिगानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिगान दिया जायेगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

## 10. आयु-

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाये।

## 11. चरित्र-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति संघ में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अपमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति को नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।



## 12. वैवाहिक प्रारिथ्यति—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

## 13. शारीरिक स्वास्थ्यता—

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

## भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

## 14. रिक्तियों का अवधारण—

नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, भर्ती के वर्ष के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

## 15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच चुंके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और नियम सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे।

## 16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—

पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।



## 17. संयुक्त चयन सूची—

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों के द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

## 18. चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण—

नियम 15 या 16 के अधीन चयनित अभ्यर्थी ऐसे दिनांक को संस्थान में पद ग्रहण करेंगे, जैसा मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा नियत किया जाये, जो सामान्यतः नवम्बर का प्रथम दिवस होगा और इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के पूर्व साढ़े चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

## 19. अर्हता परीक्षा—

(1) प्रशिक्षण के अंत में एक अर्हता परीक्षा अभिनिर्धारित होगी जिसके लिये मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

(2) संस्थान का निदेशक प्रत्येक अभ्यर्थी की उपस्थिति, मासिक परीक्षा, आचरण और अनुशासन के आधार पर कार्य और आचरण का निर्धारण करेगा जिसके लिये अर्हता परीक्षा के लिये कुल अंकों के बीस प्रतिशत अंक निश्चित किये जायेंगे और अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त अंकों को अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि सत्र के दौरान वह संस्थान के खुले रहने के कुल दिनों के अरसी प्रतिशत तक कक्षा में उपस्थित न रहा हो तथापि मुख्य राजस्व आयुक्त आपदादिक मामलों में शर्तों को शिथिल कर सकते हैं।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसको संस्थान में दो महीने के अग्रतर लघु प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था केवल उन्हीं विषयों में की जायेगी जिनमें अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा में असफल रहा हो और ऐसे प्रशिक्षण के अंत में संस्थान द्वारा अनुपूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(5) समस्त सफल अभ्यर्थियों को संस्थान का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(6) प्रत्येक सत्र में मुख्य राजस्व आयुक्त एक अधिकारी को अर्हता परीक्षा के अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा। अधीक्षक अपने बदले में निरीक्षक नियुक्त करेगा जो परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयास, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये कदाचार के मामलों को उसे सूचित करेंगे। अधीक्षक, स्वविवेकानुसार परीक्षार्थी को या तो अग्रतर परीक्षा से विवर्जित कर सकता है या किसी प्रश्न-पत्र विशेष में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में से कटौती करने का आदेश दे सकता है। अनुचित साधनों को सम्मिलित करते हुये कदाचार के आधार पर ऐसा करने से पूर्व अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का पूरा अवसर परीक्षार्थी को प्रदान किया जायेगा। परीक्षार्थी अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। मुख्य राजस्व आयुक्त का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

## 20. नियुक्ति—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।



(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

## 21. परिवीक्षा—

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक, विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु उपबन्ध यह है, कि आपवादिक परिस्थितियों के सिद्धाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने से अनुमति दे सकता है।

## 22. स्थायीकरण—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या, बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

- (क) उसने आठे चार मास का विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,
- (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो, और
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा अनिप्रमाणित हो।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन की गई यह घोषणा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने, परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

## 23. ज्येष्ठता—

मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा सशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता नियमावली, 2003 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग रात-वेतन आदि

## 21. वेतनमान—

(1) नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनबैंड एवं सादृश बेंड के निम्न प्रकार हैं :-

पदनाम	वेतनबैंड/वेतनमान (₹ में)	सादृश बेंड के (₹ में)
नायब तहसीलदार	9300-13700	6200



(7)

## 25. परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन-

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे दे, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

## भाग आठ-अन्य उपबन्ध

## 26. पक्ष समर्थन-

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किन्हीं शिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।

## 27. अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

## 28. सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण-

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह ऐसे मामले में लागू नियमावली में किसी बात को छोड़ते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्त या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

## 29. व्यावृत्ति-

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 07-3-2009, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 राजस्व/177-13-3-2009-500 (कम्प्यूटर/रीजियो)